SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका

गीता चौधरी, शोधार्थी, **मनीष कुमार पाण्डेय,** Ph.D.,राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय
श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
गीता चौधरी, शोधार्थी
मनीष कुमार पाण्डेय, Ph.D.
E-mail : geetachoudhary2810@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 14/06/2024
Revised on : 06/08/2024
Accepted on : 16/08/2024
Overall Similarity : 00% on 07/08/2024

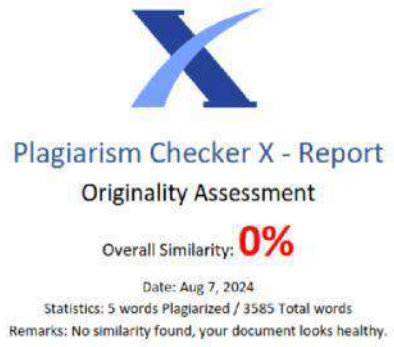

शोध सार

भारतीय महिलाओं की प्रगति, विकास एवं उत्थान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विकास योजनाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। भारत के संविधान और अन्य कानूनों में तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, किन्तु इस कानूनी बराबरी को वास्तविकता के धरातल से जोड़ना भी अति महत्वपूर्ण है। इस दिशा में महिलाओं का स्वालम्बन और आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा बहुत सारी विकास योजनाएं प्रारंभ की गई है। जैविक दृष्टि से प्रकृति ने स्त्री एवं पुरूष दोनो को यद्यपि भिन्न–भिन्न संरचनायें प्रदान की है, तथापि इसका उद्देश्य 'एक दुसरे की पूर्णता' है, ना कि भेदभाव, आधिपत्य या शोषण। आदिम समाज की जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में स्त्री पुरूष में समानता विद्यमान थी। संगठित समाज की रचना, उत्पादन के साधनो में बदलाव, परिवार नामक संस्था का अभ्युदय एवं स्वाामित्व अथवा संपत्ति के उदय के साथ स्त्री को पुरूष के अधीन करना शुरू किया। 01 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से स्थानीय स्वशासन पद्धति के अंतर्गत ग्राम सभाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में अनेकानेक जनकल्याण एवं ग्राम विकास काम किये जा रहे हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सामाजिक संस्थाओं और उनके कर्मचारियों पर ग्राम पंचायत के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। ग्राम सभा में महिलाओ द्वारा हितग्राहियों का पहचान एवं चयन करना, जनता में सामान्य चेतना जगाना, गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के अंतर्गत उपयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं संधारण करना, गरीबों की वास्तविक पहचान कर उसका चयन करना, निधियों या अस्तियों का समुचित उपयोग तथा लोगों को कल्याण कार्यों के लिये गतिशील करने जैसे कार्य कर वे ग्राम सभा की मौजूदगी में अपनीं

उपादेयता और सार्थकता प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, जहां कि 80 प्रतिशत जनता गांवो में निवास करती है, जिसमें लगभग 35 प्रतिशत आबादी आदिवासियों व अनुसूचित जनजातियों की है। लगभग 15 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों की है। लगभग 45 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ी जातियों की है। अन्य पिछड़ी जातियों में केवल साहू और कुर्मी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। केवल 10 प्रतिशत लोग उंची जातियों या सम्भ्रांत जातियों के हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सुधार और आधुनिकीकरण का अर्थ है इन पिछड़ी जातियों का विकास और आधुनिकीकरण। किन्तु जो 10 प्रतिशत सम्भ्रांत जातियां हैं, वही सत्ता और शक्ति के शिखर पर जमीं हुई हैं, तथा छत्तीसगढ़ के शहरों में निवास करती हैं, और क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक विकास का लाभ ले रहीं हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता यानि महिलाओं के अधिकारों और क्षमताओं के विस्तार की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यह शोध पत्र महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता से जुड़े अधिकारों और क्षमताओं का विस्तार करने वाले मुद्दों और समस्याओं पर जोर देता है।

मुख्य शब्द

राजनीतिक सहभागिता, कानूनी बराबरी, ग्राम सभा, स्थानीय स्वशासन, महिला संवृद्धि, महिला कोष.

प्रस्तावना

वर्तमान परिपेक्ष्य में भारतीय महिलाओं की प्रगति, विकास एवं उत्थान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। भारत के संविधान और अन्य कानूनों में तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, किन्तु इस कानूनी बराबरी को वास्तविकता के धरातल से जोड़ना भी अति महत्वपूर्ण है। इस दिशा में महिलाओं का स्वालम्बन और आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की गई है।

प्रकृति ने सृष्टि को दो भागों में विभक्त किया है। पुरूष और स्त्री, इससे यह सिद्ध होता है, कि सफल सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए स्त्री का बड़ा महत्व होता है। समय–समय पर समाज में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं इससे महिला का अछूता रह पाना असंभव हो गया है। सिन्धु घाटी सभ्यता से लेकर इस तीव्रगामी हवाई युग तक महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। मानव समाज में अक्सर पुराने संस्कार और सिध्दांत अव्यवहारिक जान पड़ते हैं। नई पीढ़ी पुराने सिध्दांतों और आदर्शों की केचुली उतार कर नये आदर्श और प्रतिमान गढ़कर समाज को दिशा प्रदान करती है। महिलाओं के संबंध में भी यही लागू होती है। महात्मा गांधी के अनुसार 'पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को सशक्त बनाना अधिक आवश्यक है, क्योंकि पुरूष के शिक्षित होने से केवल एक पुरूष ही शिक्षित होता है, परंतु एक महिला के शिक्षित होने से सारा परिवार शिक्षित होता है।'

जैविक दृष्टि से प्रकृति ने स्त्री एवं पुरूष को भिन्न संरचनायें प्रदान की है, इसका उद्देश्य है 'एक दुसरे की पूर्णता' ना कि भेदभाव, आधिपत्य, शोषण। आदिम समाज की जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में स्त्री पुरूष में समानता विद्यमान थी। संगठित समाज की रचना, उत्पादन के साधनो में बदलाव, परिवार नामक संस्था का अभ्युदय एवं स्वाामित्व अथवा संपत्ति के उदय के साथ स्त्री को पुरूष के अधीन करना शुरू किया। यह प्रक्रिया आश्चर्यजनक रूप से विश्व की सभ्यताओं में कमोवेश पनपती ही रही। इस प्रक्रिया में सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मूल्य मानकों, समाज में व्यवस्थाओं अर्थात् राजतंत्र का योगदान रहा है। इस दिशा में महिलाओं में स्वावलम्बन और आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिये कुछ योजनायें प्रारंभ की गई है। भारत में लगभग 33 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही है, जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

01 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और रायपुर को राजधानी बनाया गया। वर्तमान में यह जिला राजधानी होने के कारण छत्तीसगढ़ के प्रमुख 33 जिलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ में रायपुर जो अविभाजित मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना जाता था छत्तीसगढ़ राज्य बनने

के बाद जिले के पुर्नगठन के बाद यह सबसे छोटा जिला बन चुका है। इसकी पूर्व की अधिकांश तहसीलें जिला बन चुकि हैं। वर्तमान में रायपुर संभाग में धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार एवं महासमुन्द जिले हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज

ग्राम सभाओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। ग्राम सभा को स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में अनेक जनकल्याण एवं ग्राम विकास के काम दिये गये हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। सामाजिक संस्थाओं और उनके कर्मचारियों पर ग्राम पंचायत के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। ग्राम सभा में महिलाओ द्वारा हितग्राहियों का पहचान एवं चयन करना, जनता में सामान्य चेतना जगाना, गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के अंतर्गत उपयोजनाओं का क्रियान्वयन एवं संधारण करना, गरीबों की वास्तविक पहचान कर उसका चयन करना, निधियों या अस्तियों का समुचित उपयोग तथा लोगों को कल्याण कार्यों के लिये गतिशील करने जैसे कार्य कर वे ग्राम सभा की मौजूदगी में अपनीं उपादेयता और सार्थकता प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, जहां कि 80 प्रतिशत जनता गांवो में निवास करती है, जिसमें लगभग 35 प्रतिशत आबादी आदिवासियों व अनुसूचित जनजातियों की है। लगभग 15 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों की है। लगभग 45 प्रतिशत आबादी अन्य पिछड़ी जातियों की है। ये सभी हर क्षेत्र में पिछड़े हुये हैं। अन्य पिछड़ी जातियों में केवल साहू और कुर्मी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर छाते जा रहे हैं। केवल 10 प्रतिशत लोग उंची जातियों या सम्भ्रांत जातियों के हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सुधार और आधुनिकीकरण का अर्थ है इन पिछड़ी जातियों का विकास और आधुनिकीकरण, किन्तु जो 10 प्रतिशत सम्भ्रांत जातियां हैं, वही सत्ता और शक्ति के शिखर पर जमीं हुई हैं तथा छत्तीसगढ़ के शहरों में निवास करती हैं और क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक विकास का लाभ भोग रही हैं।

महिला सशक्तिकरण की अधिक लाभ पहुंचाने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं

- मुख्यमंत्री शिशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार योजना।
- छत्तीसगढ़ महिला कोष।
- महिला समृद्धि बाजार योजना।
- प्रधानमंत्री उज्वला योजना।
- महिला स्वयं सहायता समूह।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन 'महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका' में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभाव से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण द्वारा उनमें राजनैतिक सहभागिता की अभिवृध्दि को ज्ञात करना है जो निम्नानुसार हैः

1. उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को ज्ञात करना।
3. ग्रामीण विकास योजनओं के प्रति महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन करना।
4. ग्रामीण विकास योजनाओं का महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान को ज्ञात करना।
5. ग्रामीण विकास योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता की अभिवृद्धि की स्थिति को ज्ञात करना।

शोध साहित्य समीक्षा

प्रेमलता पुजारी एवं विजय कुमार कौशिक (2000) ने भारत में 'महिलाओं की शक्ति' विषय पर तीन जिलों में एक अध्ययन सम्पादित किया है, यही अध्ययन महिलाओं के विकास से संबंधित विविध विषयों पर लिखे

गये निबंध, शोध पत्र उद्धरण के संकलन पर आधारित है। यह सम्पादित कार्य महिलाओं की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रवीण सेठे (2004) ने 'भारत में राजनीति एवं महिलाओं के सशक्तिकरण' विषय पर अपनी पुस्तक में प्रथम आमचुनाव से वर्तमान तक महिलाओं की भागीदारी को राजनीतिक दलों में महिला प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण के संदर्भ में विश्लेषण किया है।

रितु मेनन (2005) 'कर्मठ महिलाएं' इस लेख में स्पष्ट किया गया है कि आदि काल से ही महिलाओं ने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है भले ही उनकी उपस्थिति कहीं कहीं ही दर्ज हुई है, कुछ उदाहरण ही हमारे सामने आई है जिन्हे पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। अक्सर लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ही याद आती है जैसे नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलनों में हजारों की संख्या में भाग लिय और राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने में सहभागी बने।

डॉ. मंजु शुक्ला (2011) 'महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण' विषय पर उन्होनें महिलाओं को सशक्त बनने हेतु साक्षर होना आवश्यक बताया है जिससे पूरा परिवार को इसका लाभ मिलता है। परिवार की प्रत्येक महिला एक मां के रूप में बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। अपने आप को सशक्त बनाने हेतु महिलाओं को स्वयं प्रयास करना पड़ता है जिसके लिये उन्हें जागरूक किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और यह जागृति व्यक्तिगत एंव सामूहिक प्रयासों से हो सकती है।

डी. एम. चौधरी (2011) ने अपने अध्ययन में उभरते ग्रामीण नेतृत्व को स्पष्ट किया है कि यह अध्ययन सर्वेक्षण से एकत्रित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। इस अध्ययन से ग्रामीण क्षेत्रों पर स्थानीय स्वशासन के नेतृत्व की पृष्ठभूमि एवं उनकी कार्यप्रणाली को समझने हेतु उचित दिशा मिलती है।

डॉ. के. एम. मोदी (2013) 'ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्वयंसहायता समूहों का योगदान' विषय पर लेखक के अनुसार देश के सर्वांगीण विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः महिलाओं का विकास करके ही सर्वांगीण विकास की कल्पना को यथार्थ रूप में बदला जा सकता है जिसके अंतर्गत महिलओं को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहें है।

इजलाल अनीस जैदी (2014) ने उत्तरी भारत के गावों के राजनीतिक परिदृश्य का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में स्वतंत्रता के पश्चात् से 1982 तक राजनीतिक विकास को समाहित करते हुए ग्राम पंचायत के चुनावों को विश्लेषित किया गया है।

अशोक आर्य (2015) 'भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका' प्रस्तुत लेख में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसके निष्कर्ष से यह पता चलता है कि सरकार और समाज ने काफी हद तक महिलाओं के रानीति में समान भागीदारी को लेकर कई ठोस कदम उठाये है। राजनीति के नये आयाम बनाये जा रहे हैं तथा महिलाओं को विकास के समान अवसर दिये जा रहे हैं।

डॉ. प्रेरणा चतुर्वेदी (2016) 'ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण' इस लेख में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये लाये गये व्यापक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की बात कही गई है जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, संरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा आदि है। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिये महत्वपूर्ण है। महिलाओं को विकास के मुख्यधारा मे लाना भारत सरकार का मुख्य दायित्व रहा है इसलिये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलओं की योगदान का भी प्रावधान किया गया ताकि समाज के इस वर्ग के लिये पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा सके। इस लेख से यह पता चलता है कि महिलाओं को अपने सामाजिक, राजनीतिक भूमिका निभाने में अनेक बाधायें हैं परंतु निश्चय ही एक नई चेतना का संचार हुआ है।

बी. पी. एस. भदौरिया एवं वी. बी. दुबे (2016) ने उत्तरप्रदेश एवं आंध्रप्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समस्याओं एवं संभावनाओं की व्याख्या की है।

श्रीमती सुनीता अग्रवाल (2017) 'ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता' प्रस्तुत शोध पत्र पर छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अनुसूचित जाति महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन है। इस शोध से यह पता चलता है कि महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। वे अपनी मताधिकार का प्रयोग स्वेच्छानुसार करने लगी है। उनमें पूर्णतया नहीं किन्तु कुछ हद तक परिवर्तन अवश्य आया है।

राजमोहन सोनी डॉ. आर. के. दुलार (2018) 'राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक सशक्तिकरण–एक परिदृश्य' इस शोध में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण का अध्ययन किया गया है जिसके आधार पर प्रमुख रूप से यह निष्कर्ष निकला कि स्वतंत्रता के पश्चात् एवं विशेष तौर पर आर्थिक सुधारों के बाद राजस्थान मे महिलाओं की दशा व दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आया है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सकारात्मक परिवर्तन की गति धीमी रही है।

डॉ. गुलाबराव विठोबा मंडलीक (2020) 'महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण' इस शोध में महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण एवं समाज में उनकी क्या भूमिका है उस पर अध्ययन किया गया हैं जिससे यह निष्कर्ष निकला कि देश के विकास में महिला एवं पुरूष दोनों की समान सहभागिता होती है।

संतोष कुमार (2020) 'पंचायती राज में महिला संशक्तिकरण' यह शोध महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका पर अध्ययन है। इस शोध से यह पता चलता है कि महिलायें अब भी राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं फिर उनमें तेजी से जागरूकता आ रही है।

डॉ. अंजना खेर (2022) 'भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता' इस शोध में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर अध्ययन किया गया हैं इसमें यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को राजनीतिक जीवन का पूर्ण ज्ञान और अनुपम तभी होगा जब उन्हे आगे बढ़ने का अवसर दिया जायेगा। जब–जब उन्हें अवसर मिला है तब–तब उन्होंने अपनी दक्षता का परिचय दिया है लेकिन फिर भी समाज के द्वारा महिलाओं के हितों को अनदेखा किया गया है इसलिये यह आवश्यक है कि संसद में महिलाओं का न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

प्रस्तावित शोध प्रविधि

अ. **व्याख्यात्मक शोध प्रविधिः** इसमें व्याख्यात्मक शोध प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

ब. **न्यादर्श विधिः** दैव निर्देशन पद्धति से एक वृहद समूह के लघु स्वरूप का चयन करके अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इसी पध्दति के आधार पर रायपुर संभाग के लगभग 300 उत्तरदाताओं का चयन करके उनके अभिमत के आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा।

स. **साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, सामूहिक चर्चाः** इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबंध में अन्वेषणात्मक, विष्लेष्णात्मक तथा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके तथ्यों का उजागर करने का प्रयास किया जायेगा।

अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए अध्ययन पद्धति को चार भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में अध्ययन क्षेत्र का परिचय, द्वितीय भाग में उत्तर दाताओं का चयन, तृतीय भाग में तथ्यों का संकलन, तथा चतुर्थ भाग में संकलित तथ्यों का विश्लेषण सम्मिलित हैः

1. **अध्ययन क्षेत्र का परिचयः** रायपुर जिला के ब्लॉक/तहसील के ग्रामों में योजनाओं के लाभान्वित का अध्ययन।
2. **उत्तर दाताओं का चुनावः** अध्ययन के प्रस्तावित जिले के कुछ ग्रामों का चयन किया जाएगा चयनित ग्रामों को जिला मुख्यालय से दूरी के आधार पर दो स्तरों में विभाजित किया जाएगा प्रथम सतर में 1 से 40 किलोमीटर के दायरे में और दूसरे स्तरपर 14 से 60 किलोमीटर की सीमा में इस प्रकार किसी जिले के केन्द्र से प्रत्येक और लाटरी पध्दति से पांच 5 ग्राम पंचायतों मे रहने वाले 55 परिवारो के महिलाओं के राजनैतिक,

सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा इसके अलावा 2 केस स्टडी की जाएगी।

3. **तथ्यों के संकलन की प्रविधिः** शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा। अतः वैज्ञानिक पध्दति पर आधारित होने के कारण यह शोध अध्ययन अपनी मौलिकता को यथार्थ रूप में व्यक्त करने में समर्थ होगा।
4. **तथ्यों का विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरणः** अध्ययन की वस्तुनिष्ठता हेतु साक्षात्कार अनुसूची उपकरण की सहायता से प्राथमिक तत्वों का संकलन किया जाएगा जिसके माध्यम से अध्ययन से संबंधित वस्तुनिष्ठ तथ्यों का संकलन कर उत्तर दाताओं की स्थिति एवं उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में अवलोकन विधि से तथ्यों का विश्लेषण जाएगा। अध्ययन के गॉड तथ्यों के संकलन हेतु विभिन्न शोध अध्ययन को पूर्णता प्रभावी एवं व्यापक बनाया जा सके। प्रस्तावित शोध के नवोन्मेष पथ प्रवर्तक पहलू के अध्ययन के लिए प्रस्तावित जिलों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के ऐतिहासिक नायकों की पहचान करना उनके मूल्यों एवं आदर्शों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना उनकी राजनैतिक दक्षता और कौशल की पहचान करना और आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता जांच करना।

शोध परिकल्पना

$\mathbf{H_{01}}$ ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जागरूकता में सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ है।

$\mathbf{H_1}$ ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जागरूकता में सार्थक परिवर्तन हुआ है।

$\mathbf{H_{02}}$ महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं की सार्थक भूमिका नहीं है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि नहीं हुई है।

$\mathbf{H_2}$ महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं की सार्थक भूमिका है, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है।

अध्ययन विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन 'महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका का अध्ययन' एक विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है, जिसमें साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन एवं सामूहिक परिचर्चा करके प्राप्त संमकों का विश्लेषण किया गया है। इसके लिए रायपुर जिला के अभनपुर विकासखण्ड के तूता–माना और निमोरा गांव के महिला स्व–सहायता समूहों का अध्ययन कर प्राप्त आंकड़ो से शोध पत्र के निष्कर्ष तक पहुंचन का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए तूता–माना और निमोरा गांव के 2–2 महिला स्व–सहायता समूहों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि इन गांवों की महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा सरकारी विकास योजनाओं पर आधारित विभिन्न तरह की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। इससे जुड़ी महिलाओं में से 80 से 90 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि महिलाओं की राज्य सरकार की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण बढ़ाने वाली ग्रामीण विकास योजनाओं से न केवल उनमें राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है, अपितु इससे उनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ी है, और राजनीतिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। राज्य सरकार की कई योजनाओं जैसे गौठान योजना, बारी–बखरी योजना से महिलाएं गौपालन द्वारा दूध के वयवसाय में तेजी से आगे बढ़ रहीं है। गोबर से कई प्रकार के उत्पाद बनाये जाने लगे हैं, इससे परिवार की आमदनी बढ़ने लगी है। बारी–बखरी योजना से सब्जियों के उत्पादन और बिक्री बढ़ने से आमदनी बढ़ रही है। इन योजनाओं से जुड़ी 75 से 80 महिलाओं ने स्वीकार किया कि इससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के आर्थिक सशक्तिकरण घटक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गतिविधि उन परिवारों

की लड़कियों एवं महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम है, जिनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपये से कम है या जो बीपीएल वर्ग में हैं। सेवा क्षेत्र के व्यवसाय जैसे कंप्यूटर, ब्यूटीशियन, हाउसकीपिंग, खाना बनाने, अस्पतालों में नर्सिंग इत्यादि दर्जनों कार्यों एवं योजनाओं से महिलाओं को सीधा फायदा हो रहा है। सार यह है कि राजनीतिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के रूप में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभाव से ग्रामीण महिला सशक्तिकरण द्वारा उनमें राजनैतिक सहभागिता में तेजी से अभिवृध्दि हो रही है, और इस तथ्य को ग्रामीण स्व–सहायता समूहों से जुड़ी तीन–चौथाई से अधिक महिलाओं ने माना एवं स्वीकार किया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता यानि महिलाओं के अधिकारों और क्षमताओं के विस्तार की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यह शोध पत्र महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता से जुड़े अधिकारों और क्षमताओं का विस्तार करने वाले मुद्दों और समस्याओं पर जोर देता है। आज महिलाओं राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता 21 वीं सदी के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, हालांकि अधिकांश महिलाओं के अधिकार और क्षमताएं तथा राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता के संबंध में कई बार भ्रम या विरोधाभास की स्थिति भी दिखलाई पड़ती है। सारे प्रयासों एवं उपायों के बावजूद दैनिक जीवन में महिलाएं आज भी विभिन्न प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक बुराई का शिकार बन रहीं हैं।

वर्तमान संदर्भ में भारतीय महिलाओं की प्रगति, विकास एवं उत्थान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। भारत के संविधान और अन्य कानूनों में तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, किन्तु इस कानूनी बराबरी को वास्तविकता के धरातल से जोड़ना भी अति महत्वपूर्ण है। इस दिशा में महिलाओं का स्वालम्बन और आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की गई है।

यद्यपि महिलाओं के राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता के साथ मौलिक अधिकारों और क्षमताओं के विस्तार से महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन एवं सक्षमता बढ़ रही है, तथापि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार करने की प्रक्रिया को अभी और सक्षम बनाने की आवश्यकता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों महिलाएं पारंपरिक समाज में अपने मूल एवं मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। सभी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। इसके लिए राजनीतिक जागरूकता से कहीं अधिक सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। आम जनमानस की दृष्टि एवं दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा, सोच और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन एवं बदलाव आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000) *पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व,* नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 136।
2. कुमार, राधा (2004) *स्त्री संघर्ष का इतिहास,* वाणी प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 160।
3. शर्मा, ऋषभदेव (2004) *स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम,* नीता प्रकाशन, हैदराबाद, पृ. 69।
4. खेतान, प्रथम (2003) *उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की दस वार्ता,* राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 141।
5. तिवारी, प्रेमलता (1994) *भारत में महिला शक्ति,* कनिष्ठा पब्लिशर्स, इलाहाबाद, पृ. 84।
6. कौशिक, आशा (2004) *विमर्श एवं यथार्थ,* पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, राजस्थान, पृ. 103।
7. जैन, प्रतिभा (2003) *भारतीय स्त्री राजनीनितक संदर्भ,* रावत पब्लिशर्स, जयपुर राजस्थान पृ. 1781।
8. किशोर, राज (2004) *स्त्री परम्परा और आधुनिकता,* वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 7।

9. शर्मा, प्रेमनारायण (2005) *महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास,* भारत बुक सेंटर, लखनउ, पृ. 178, 208।
10. रानी, आशु (1999) *महिला विकास कार्यक्रम,* इनाश्री पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 53।
11. शुक्ला, मंजु (2011) *महिला साक्षरता एवं सशक्तिकरण,* भारत प्रकाशन, लखनउ, पृ. 8।
12. मेनन, रितु (2005) *कर्मठ महिलाएं,* नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
13. मंडलीक, गुलाबराय विठोबा (2020) महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, *जनरल ऑफ इमरजींग टेक्नॉलॉजी एण्ड इनोवेटिव रिसर्च,* अहमदाबाद, वाल्यूम 7, इश्यू 6, पृ. 1–3।
14. पांडेय, कविता (2021) राजनीति में महिलाओं का समालोचनात्मक परीक्षण, *इण्टरनेशनल जरनल ऑफ ह्यूमेनिटिस एण्ड सोसिएल साइंस रिसर्च,* वाल्यूम 7, इश्यू 6, पृ. 1–3।
15. अग्रवाल, सुनिता (2017) ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं राजनीतिक जागरूकता, *शोध मंथन,* मेरठ, आर्टिकल 4 पृ. 18–25।
16. अग्निहोत्री, वाणी (2017) *भारत में महिला सशक्तिकरण का लेखा जोखा,* ऑब्जर्वर रिसर्च फाडण्डेश, नई दिल्ली।
17. चतुर्वेदी प्रेरणा (2016) ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण, *हिन्दी विवके* पत्रिका, मुम्बई, ग्रामोदय दीपावली विशेषांक।
18. आशु, नवीन (2002) *महिला विकास कार्यक्रम,* इनाश्री प्रकाशन, जयपुर, पृ. 19।
19. मौर्य, शैलेन्द्र (2007) *राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक,* राजस्थान साहित्य संस्थान, जोधपुर, पृ. 117।
20. कपून, ए. के. सिंह धर्मवीर (1995) *रूरल डेवलपमेंट एन. जी. ओ.,* रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 99।
21. देवी, मंजू के. (1999) *रूरल वूमेनः पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स,* अनमोल पब्लिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ. 24।
22. शर्मा, संगीता (2005) *महिला विकास एवं राजकीय योजनाए,* रितु पब्लिकेशन, जयपुर।
23. जैन, मंजू (1994) *कार्यशील महिलाएं एवं सामाजिक परिवर्तन,* प्रिन्टवेल, जयपुर, पृ. 144।
24. विद्या के. सी. (1997) पॉलिटिकल एम्पॉवरमेन्ट ऑफ वूमेन एट द ग्रास रूट. कनिष्ठ पब्लिसर्स, नई दिल्ली।
25. रायदाद, अजीत (2005) *महिला उत्पीड़न एवं समस्या और समाधान,* म. प्र. हिन्दी अकादमी, भोपाल।
26. अंसारी, नियाज (2002) *महिला सशक्तिकरण वादे और क्रियान्वयन,* पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
27. मंजुलता, (2004) *अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न,* अर्जुन पब्लिसर्स हाउस, नई दिल्ली।

****